भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1880

06 दिसम्बर, 2024को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अनुसंधान केंद्र

1880. श्रीसनातन पांडेय:
श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी:
श्री नलिन सोरेन:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए गए हैं;
(ख) क्या इन केन्द्रों की स्थापना के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को अतिरिक्त धनराशि के आवंटन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) देश में होम्योपैथी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) और केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) क्रमश: आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के लिए शीर्ष अनुसंधान संगठन हैं।देश भर में सीसीआरएच के सत्ताईस अनुसंधान संस्थान/इकाइयां हैं जिनमें गोवा में वर्ष 2023 में स्थापित एक नई नैदानिक अनुसंधान इकाई भी शामिल है।सीसीआरएएस के तीस अनुसंधान संस्थान/केंद्र हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरानइसने कोई नया अनुसंधान केंद्र स्थापित नहीं किया है। गोवा स्थित नैदानिक अनुसंधान इकाई (होम्यो.) को वर्ष 2022-23 के दौरान आवंटित/प्रयुक्त धनराशि 7.32 लाख रुपये और वर्ष 2023-24 के दौरान 85.29 लाख रुपये है।इसके अलावा, नैदानिक अनुसंधान इकाई (होम्यो.), गोवा से निधियों के अतिरिक्त आबंटन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ): देश भर में होम्योपैथी में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

(1) केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच), आयुष मंत्रालय के अधीन एक शीर्ष अनुसंधान संगठन है, जो अपने 27 अनुसंधान संस्थानों/इकाइयों और 7 होम्योपैथिक उपचार केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से होम्योपैथी में वैज्ञानिक अनुसंधान करती है, उसका समन्वय, विकास, प्रसार तथा संवर्धन करती है और अंतरवर्ती अनुसंधान करनेके साथ-साथ उत्कृष्टता संस्थानों के साथ सहयोग कर रही है, होम्योपैथी को बढ़ावा दे रही है तथाउपर्युक्त संस्थानों/इकाइयों एवं उपचार केंद्रों की ओपीडी/आईपीडी के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान कर रही है।सीसीआरएच ने अवसंरचना, प्रयोगशाला सुविधाओं के रूप में अपने संस्थानों का उन्नयन किया है और केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कोट्टायम को राष्ट्रीय होम्योपैथी मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (एनएचआरआईएमएच), कोट्टायम में उन्नयन किया है। सीसीआरएच होम्योपैथी को बढ़ावा देने तथा आम जनता के बीच इसे लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरोग्य मेलों/स्वास्थ्य शिविरों/प्रदर्शनियों में भी भाग ले रहा है। आईईसी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, सीसीआरएच ने सूचना एवं शिक्षा सामग्री विकसित की है जो प्रदर्शनियों/स्वास्थ्य मेलों/सेमिनारों/विश्व होम्योपैथी दिवस के आयोजन/सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट आदि के माध्यम से आम जनता को मुफ्त में वितरित की जाती है। इसके अलावा,परिषद ने निम्नलिखित जन-स्वास्थ्य पहल कार्यक्रम शुरू किए हैं: बच्चों में स्वस्थ दांत निकलने की प्रक्रिया में होम्योपैथी; स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम; कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं स्ट्रोक

की रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम(एनपीसीडीसीएस); अनुसूचित जाति घटक योजना (एससी घटक योजना) स्वास्थ्य शिविर; अपने केंद्रों के माध्यम से पोषण महाअभियान में भागीदारी; आजादी का अमृत महोत्सव से संबंधित गतिविधियों में भागीदारी।

(2) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (एनआईएच), कोलकाता आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है जो होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है, उच्चतम पेशेवर मानकों तथा नैतिक मूल्यों के अनुसार होम्योपैथी के स्नातक-पूर्व, स्नातकोत्तर छात्रों तथा शोध छात्रों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करता है। संस्थान वर्तमान में, होम्योपैथी में डिग्री पाठ्यक्रम अर्थात बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएचएमएस) और छह विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी [एमडी (होम्यो.)]संचालित करता है।

राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता का एक अनुषंगी संस्थान, दिनांक 11.12.2022 को नरेला, दिल्ली में 100 बिस्तरों के साथ स्थापित किया गया था, जो चिकित्सीय एवं इंटरवेंशनल इन्फ्रा-स्ट्रक्चर तथा अत्याधुनिक नैदानिक उपकरणों और तकनीकों से सुसज्जित है, जिनका उपयोग चिकित्सा, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान में किया जाता है। रोगी की देखभाल मुख्य रूप से माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से प्रदान की जाती है। वर्तमान में यह संस्थान, सात विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर संचालित करता है।

(3) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020(2020 का 15)के प्रावधानों के तहत, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) को निरस्त करके,दिनांक 5 जुलाई, 2021 की अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) का गठन किया गया था ताकि वह इसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सके और सौंपे गए कार्यों का निष्पादन कर सके।एनसीएच, जो आयुष मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है, ने एक विनियम अर्थात राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी चिकित्सा अनुसंधान) विनियम, 2023 अधिसूचित किया है जिसमें होम्योपैथी में अनुसंधान करने के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा, एनसीएच होम्योपैथी चिकित्सा पेशेवरों को अपने काम में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान अपनाने तथा होम्योपैथी अनुसंधान में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। होम्योपैथी (स्मार्ट-होम्यो.) में आधुनिक प्रगति, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी को जोड़ने के लिए अनुसंधान कार्य-पद्धति की अवधारणाओं को विनियम अर्थात राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम-बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी)(बी.एच.एम.एस.), विनियम, 2020में समुचित रूप से शामिल किया गया है। इसके अलावा, एनसीएच ने केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के सहयोग से स्नातकोत्तर छात्रों और शिक्षकों के लिए अनुसंधान पद्धति में प्रशिक्षण भी आयोजित किया है।

(4) भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय है जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों एवं होम्योपैथी के लिए भेषजसंहिताएं और फॉर्मूलरीज विकसितकरने के साथ-साथ केंद्रीय औषधि परीक्षण-सह-अपीलीय प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है।आयुष मंत्रालय की ओर से पीसीआईएम एंड एच द्वारा होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया (एचपीआई) के प्रकाशन के माध्यम सेहोम्योपैथिक औषधियों के भेषजसंहिता मानक स्थापित किए जाते हैं।

*****